न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 10/2023

1 रामकरण आयु 70 साल पुत्र नाराणाराम जाति जाट निवासी ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती वेदकोर पुत्री नाराणाराम पत्नी बिशनाराम जाति जाट निवासी ढिगाल हाल आबाद मोहब्बतसरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक

1/1 राधेश्याम पुत्र वेदकोर जाति जाट निवासी मोहब्बतसरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/2 हरिराम पुत्र वेदकोर जाति जाट निवासी मोहब्बतसरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/3 रेवत पुत्र वेदकोर जाति जाट निवासी मोहब्बतसरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/4 चम्पा पुत्री वेदकोर पत्नी कैलाश जाति जाट निवासी नेहरा की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/5 संगीता उर्फ फुली पुत्री वेदकोर पत्नी सुरेन्द्र जाति निवासी नेहरा की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

2 गोरधन पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक

2/1 दाखी देवी पत्नी स्व गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

2/2 कमला पुत्री स्व. गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

2/3 विनोद पुत्री स्व. गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

2/4 मुन्नी पुत्री स्व गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2/5 शीला देवी पुत्री स्व. गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/6 सुमन पुत्र स्व. गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/7 बबीता पुत्री स्व. गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/8 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/9 संदीप कुमार पुत्र स्व गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 महिपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 झीमा देवी पत्नी स्व मनराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 बनारसी पत्नी स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 अशोक पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 सुभाष पुत्री स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 पवन पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी मुकदमा श्रीमती वेदकोर बनाम रामकरण वगे. मु.नं. 51/2007 प्रार्थना पत्र बाबत अपास्त किये जाने अदेश दिनांक 28.09.2022 तथा प्रार्थना पत्र बाबत लिये जाने पुनः नम्बर पर अपील आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत

उपस्थिति :

1. श्री तैयब हुसैन, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचंद पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27/11/25

यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 121/2019 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा दावा संख्या 51/2007 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में आवेदनकर्ता द्वारा अपील संख्या 10/2023 प्रस्तुत की गई थी। विचाराधीन निर्णय से यह अपील अदम हाजरी में खारिज की गई है। इसके विरूद्ध वाजदायरी आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण वास्ते मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र कायम मुकाम हेतु दिनांक 28.09.2022 को नियत थी दिनांक 28.09.2022 को न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश देकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट रामकरण वृद्ध व्यक्ति है जो काफी दिनों से बीमार चल रहा था कोरोना के समय से बीमारी के कारण लम्बे समय तक बीमार रहा। उक्त अपीलान्ट अपनी उक्त बिमारी के बाबत इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका थ तथा उसके काफी दिनों बाद तक अपनी अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं हो पाया। अपील के रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 गोरधन का देहान्त हो गया था उक्त उनवानी पत्रावली उक्त गोरधन के वारिसान को नम्बर पर लिये जाने हेतु कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत थी लेकिन अपीलान्ट बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता तथा ना ही कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर सका। इस कारण वर्तमान प्रार्थना पत्र में उक्त गोरधन के वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वेदकोर का भी देहान्त हो चुका है इसलिए उनके वारिसान को इस प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाया गया है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। वाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय में अपील आवेदनकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2019 के विरूद्ध दिनांक 11.12.2019 को विलंब से प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय में लंबित अपील दिनांक 28.09.2022 को अदम हाजरी में खारिज किये जाने के पश्चात यह वाजदायरी आवेदन दिनांक 28.08.2023 को लगभग 1 साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदनकर्ता प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। वाजंदायरी के लिए विधि में एक माह का समय निर्धारित है। प्रस्तुत आवेदन एक साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब का संतोषप्रद कारण आवेदनकर्ता द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। आवेदनकर्ता द्वारा यह आवेदन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 के प्रावधान वाद पर लागु होते है, अपील पर लागु नहीं होते है। अतः आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में अपील आवेदनकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2019 के विरूद्ध दिनांक 11.12.2019 को विलंब से प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय में लंबित अपील दिनांक 28.09.2022 को अदम हाजरी में खारिज किये जाने के पश्चात यह वाजदायरी आवेदन दिनांक 28.08.2023 को लगभग 1 साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदनकर्ता प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है।

वाजदायरी के लिए विधि में एक माह का समय निर्धारित है। प्रस्तुत आवेदन एक साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब का संतोषप्रद कारण आवेदनकर्ता द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है।

आवेदनकर्ता द्वारा यह आवेदन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 के प्रावधान वाद पर लागु होते है, अपील पर लागु नहीं होते है। इस संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 09 में स्पष्ट अंकन है कि "**Decree against plaintiff by default bars fresh suit- (1) Where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit.**"

उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों की रोशनी में आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाजदायरी मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज किया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)